NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Lucknow, 20.8.2025
Page No. 8, Size:(4.22)cms X (7.96)cms.

Assault on Army jawan: NHRC seeks report

Meerut: NHRC has taken cognisance of the assault on an Army jawan by toll plaza staff in Meerut, and directed the district administration, SSP and NHAI to submit an action taken report within two weeks, reports **Sandeep Rai.**

NHRC said the allegations "prima facie seem to be serious violation of human rights". The jawan, Kapil Kavad (25) of Rajput Regiment, was tied to a pole and beaten by toll plaza staff on Aug 17.

HINDU, Hyderabad, 20.8.2025
Page No. 6, Size:(5.53)cms X (3.82)cms.

NHRC seeks report on death of student in school

The NHRC directed Secretary (Education) Yogitha Rana for a comprehensive report concerning the death of a 16-year-old girl in Government Ashram High School for Girls in Wankidi, Kumaram Bheem Asifabad district, last year. The girl along with two other students were admitted to Nizam's Institute of Medical Sciences with severe gastroenteritis symptoms, after they reportedly consumed food from their school.

OMMCOM NEWS, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Ommcom News

Former NCPCR Chief Raises Alarm Over Court Ruling On Marriage Of Minor Muslim Girl

https://ommcomnews.com/india-news/former-ncpcr-chief-raises-alarm-over-court-ruling-on-marriage-of-minor-muslim-girl/

by OMMCOM NEWS | August 19, 2025 in Nation

New Delhi: Priyank Kanoongo, the former chairperson of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on Tuesday expressed 'shock and surprise' over a ruling by the Supreme Court which held the marriage of a minor Muslim girl under the Muslim Personal Law, as valid.

Kanoongo, currently a member of the National Human Rights Commission (NHRC), took to social media handle X and said "this was akin to running the country on the basis of Sharia."

He said that the court considered the consent of minors as the basis but ignored the laid down guidelines of the POCSO Act, a law enacted by the Parliament that protects children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography.

Terming the ruling as "concerning", he informed that another similar case was scheduled for hearing on Wednesday and this has left him worried.

"If children are given the consent to engage in sex, it will lead to ruin. God should protect the children of India," he said in the post.

According to a leading law portal, the Apex Court on Tuesday dismissed a Special Leave Petition filed by the NCPCR challenging the 2022 judgment of the Punjab and Haryana High Court which held that a 16-year-old Muslim girl can enter into a valid marriage with a Muslim man and granted protection to the couple from threats.

The NCPCR counsel raised objections to the judgment, but it was turned down by the court on the grounds that it was stranger to the litigation and has no locus standi to challenge the High Court order.

The High Court had granted protection to the couple noting that the girl, who attained puberty, is of marriageable age under the Muslim Personal Law.

Priyank Kanoongo, in his X post, further informed that he had challenged the High Court verdict in the Supreme Court, following which a stay order was given.

While he helmed the NCPCR, the child rights body in its appeal said that under the POCSO, physical relations with a minor is a crime and allowing the sexual exploitation of minor girls based on religion is against the constitutional principles of secularism.

(IANS)

ABP LIVE, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

ABP News Live

Supreme Court Dismisses Plea Against 16-Year-Old Muslim Girl's Marriage; NHRC Member Calls It `Dangerous'

https://news.abplive.com/news/india/supreme-court-dismisses-plea-against-16-year-old-muslim-girl-marriage-nhrc-priyank-kanoongo-1795449

By : ABP Live News | Updated at : 19 Aug 2025 03:23 PM (IST)

The Supreme Court on Tuesday (August 19) declined to entertain a Special Leave Petition filed by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) against a 2022 order of the Punjab and Haryana High Court which recognised the validity of the marriage of a 16-year-old Muslim girl with a Muslim man and granted the couple protection from threats.

A bench of Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan said the child rights body had no locus standi in the matter. "NCPCR has no locus to challenge such an order… if two minor children are protected by the High Court, how can NCPCR challenge such an order… It is strange that the NCPCR, which is for protecting the children, has challenged such an order," the bench observed, according to Live Law.

The judges dismissed the petition outright, refusing the request of the Commission's counsel to keep the legal question open.

SC Bench Questions NCPCR's Intervention

The court asked why the NCPCR should be contesting a High Court order that merely extended protection to the life and liberty of the couple. "We fail to see how NCPCR can be aggrieved by such an order. If the High Court, in exercise of its power under Article 226, seeks to extend protection to two individuals, the NCPCR has no locus standi to challenge such an order. Dismissed," the bench stated in its order.

The Supreme Court also rejected three other petitions filed by the NCPCR challenging similar High Court rulings.

Arguments Over Marriageable Age

NCPCR's counsel had argued that the matter raised an important legal question — whether a girl below 18 could enter into a valid marriage under personal law. They contended that the High Court's decision effectively permitted child marriage, running contrary to the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO), both of which set 18 as the threshold age for consent.

However, Justice Nagarathna clarified that no such question of law arose in this particular case. "No question of law arises, you challenge in an appropriate case please," she remarked. She further stressed that relationships involving teenagers close to majority should not always be equated with criminal offences.

"There is POCSO Act, which takes care of the penal cases, but there are romantic cases also where teenagers on the verge of majority run away, where there are genuine romantic cases, they want to get married, don't read such cases the same as criminal cases. We have to differentiate between criminal cases and this," Justice Nagarathna said, as quoted by Live Law.

She added, "Look at the trauma the girl undergoes if she loves a boy and he is sent to jail, because her parents would file a POCSO case to cover the elopement."

High Court's Earlier Observations

The Punjab and Haryana High Court, in its 2022 judgment, had granted protection to the couple after the Muslim man claimed his girlfriend was being illegally confined by her family. The court had noted that, as per Muslim Personal Law, a girl who has attained puberty is considered of marriageable age. Citing Article 195 of Principles of Mohammedan Law by Sir Dinshah Fardunji Mulla, the High Court said that a Muslim girl above 16 was competent to enter into a marriage contract.

NHRC Member Raises Alarm, Says Verdict 'Gives Freedom To Exploiters'

Following Tuesday's dismissal, NCPCR member Priyank Kanoongo expressed concern over the scope for exploitation of minor girls, labelling the verdict as 'dangerous'. In remarks to ANI, he said, "…There was a decision of the HC which stated that the marriage of a minor girl can be justified because she is Muslim… We pleaded in the SC, saying that if one HC has delivered such a decision, then others might also do it. If this happens, we won't be able to save the girls' lives… For the larger benefit of the nation's children, we went to SC and said that we won't be able to stop the rape cases of girls… Today, in the absence of the senior advocates, a one-sided hearing was held…"

"My fear is that it will be difficult to protect the children in the future, as one rule made by the Parliament of India states that, according to the global standard, the age of getting into sexual relationships should be 18 years. Now, lowering that age to 16 years old is not giving them the freedom to get into sexual relationships, but this gives freedom to the exploiters to exploit," he added.

(This is a breaking news story and is being updated. Please refresh for the latest updates.)

Agniban

16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के निर्णय में दखल देने से किया इंकार

https://www.agniban.com/supreme-courts-big-decision-on-the-marriage-of-a-16-year-old-muslim-girl-refused-to-interfere-in-the-decision-of-the-high-court/

August 19, 2025 | Ashish Meena

नई दिल्ली। 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी (muslim girl marriage) हो सकती है, यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनाया है। साथ ही पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab- Haryana High Court) के फैसले में दखल देने से भी इंकार किया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2022 में 21 साल के एक मुस्लिम युवक और 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था। हाई कोर्ट ने विवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है? आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है? वहीं युवक और युवती की शादी दोनों की मर्जी से ही हुई थी। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि NCPCR को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस संस्था का काम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, वह संस्था (NCPCR) यह कैसे कह सकती है कि 2 बच्चों को संरक्षण न दिया जाए?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को जायज ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अगर एक हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, तो दूसरी हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो लड़कियों की सुरक्षा को खतरा है। रेप के मामलों को रोक नहीं पाएंगे।

देशहित के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वरिष्ठ वकीलों की अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई करके फैसला सुना दिया गया है। ऐसे में भविष्य में बच्चों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून में प्रावधान है कि यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अब उस उम्र को घटाकर 16 साल करना, युवाओं को यौन संबंध बनाने की आजादी नहीं दे रहा है, बल्कि शोषण करने वालों को शोषण करने की स्वतंत्रता दे रहा है।

बता दें कि पंजाब के पठानकोट में साल 2022 में 16 साल की मुस्लिम लड़की ने 21 साल के प्रेमी से निकाह किया था। परिवार ने आपत्ति जताई तो लड़की ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई और हाई कोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद टिप्पणी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। इसलिए इस्लामिक कानून भी कहना है कि युवावस्था में आने के बाद 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी करने में सक्षम मान सकते हैं। इसलिए पठानकोट के SSP लड़की और उसके पति को सुरक्षा प्रदान करें।

AGNIBAN, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। याचिका में दलील दी गई कि 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी का मामला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत भारत में लड़कियों के लिए शादी करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल न माना जाए। वहीं अब साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की शादी को वैध करार दे दिया है।

News Nation

कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा : प्रियांक कानूनगो

https://www.newsnationtv.com/kam-umra-mein-muslim-ladkiyon-ki-shaadi-desh-ko-shariya-ke-anusaar-chalaane-jaisa-priyank-kanungo--20250819160724/

Written by IANS | 19 Aug 2025 18:40 IST

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर एनसीपीसीआर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा है।

प्रियांक कानूनगो ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारत के एक उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को केवल उसके धर्म के आधार पर वैध ठहराया था। भारत का बाल विवाह अधिनियम और पॉस्को अधिनियम धर्मनिरपेक्ष कानून हैं। दोनों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ कोई भी यौन गतिविधि पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार की श्रेणी में आती है।

उन्होंने कहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आग्रह किया कि यदि नाबालिग के साथ यौन संबंध पॉक्सो के तहत अपराध है, तो विवाह की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार किया और तत्काल एक अंतरिम आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनको आधार बनाकर कहीं किसी कोर्ट में आदेश नहीं दिए जा सकते।

कानूनगो ने कहा कि आज खासकर बच्चों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की एकतरफा सुनवाई की गई। इसमें यह कहा गया कि एनसीपीसीआर का लोकस नहीं बनता।

प्रियांक कानूनगो ने कहा कि 12, 13, 14, या 15 साल की लड़कियों को शादी की आड़ में यौन शोषण की अनुमति देना देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा है। यह संविधान का अपमान है और भारत में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।

दरअसल, 2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था। यह मामला तब अदालत में पहुंचा था जब विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके विवाह को मान्यता दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

--आईएएनएस

एएसएच/केआर

PANCHJANYA, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Panchjanya

`यह शरिया के आधार पर देश चलाने जैसा', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंक कानूनगो ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि कोर्ट ने नाबालिग की सहमति को आधार माना है यह चिंताजनक है। हे भगवान भारत के बच्चों की रक्षा करिए, आपका ही सहारा है।

https://panchjanya.com/2025/08/19/425110/bharat/its-like-running-the-country-on-the-basis-of-sharia-priyank-kanungo-expressed-surprise-at-the-supreme-courts-decision/

सुनीता मिश्रा Aug 19, 2025, 02:27 pm IST in भारत, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के निकाह को जायज ठहराने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और मजहब के आधार पर बालिकाओं के यौन शोषण को अनुमति देना धर्म निरपेक्षता संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार (19 अगस्त) को इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा, "एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शाादी को जायज ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को राष्ट्रीय बाल आयोग ने मेरे अध्यक्ष रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और मजहब के आधार पर बालिकाओं के यौन शोषण को अनुमति देना धर्म निरपेक्षता संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है। उस वक्त हमारी दलीलों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने तत्काल देश की लड़कियों के पक्ष में आदेश दिया था।"

उन्होंने इस फैसले को बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बताते हुए आगे लिखा, "आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। जानकारी मिली है कि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पूर्व में नियुक्त किए गए NCPCR के वरिष्ठ वकील की अनुपस्थिति में लगभग एकतरफा सुनवाई के आधार यह केस खारिज कर दिया गया है। यह शरिया के आधार पर देश चलाने जैसा है। कोर्ट ने नाबालिग की सहमति को आधार माना है यह चिंताजनक है। इसी तरह के एक और मामले में कल फिर सुनवाई होनी है। यदि बच्चों को सेक्स की सहमति दे दी गई तो बर्बादी होगी। हे भगवान भारत के बच्चों की रक्षा करिए,आपका ही सहारा है।"

एनसीपीसीआर इस मुकदमे से अनजान है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि एनसीपीसीआर इस मुकदमे से अनजान है। उसे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने पूछा कि एनसीपीसीआर को धमकियों का सामना कर रहे दंपत्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों देनी चाहिए?

पीठ ने यह भी कहा, “एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर दो नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट द्वारा संरक्षण दिया जाता है, तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है। यह बेहद अजीब है कि एनसीपीसीआर, जिसका काम बच्चों की सुरक्षा करना है, ने ऐसे आदेश को चुनौती दी है।”

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NEWS 24 ONLINE, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

News 24 Hindi

16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़की की शादी मामले में अहम फैसला सुनाया है। 16 साल की लड़की ने 21 साल के लड़के से निकाह किया था, जिसे वैध करार दिया गया है। हाई कोर्ट के फैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 19 अगस्त को फैसला आया। पढ़ें प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट...

https://hindi.news24online.com/india/supreme-court-big-verdict-on-16-year-old-muslim-girl-marriage-punjab-haryana-high-court/1289352/

Written By:News24 हिंदी | Edited By :Khushbu Goyal Updated: Aug 19, 2025 16:13

Supreme Court Verdict: 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है, यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से भी इंकार किया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2022 में 21 साल के एक मुस्लिम युवक और 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था। हाई कोर्ट ने विवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है? आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है? वहीं युवक और युवती की शादी दोनों की मर्जी से ही हुई थी। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि NCPCR को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस संस्था का काम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, वह संस्था (NCPCR) यह कैसे कह सकती है कि 2 बच्चों को संरक्षण न दिया जाए?

फैसले पर आई आयोग की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को जायज ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अगर एक हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, तो दूसरी हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो लड़कियों की सुरक्षा को खतरा है। रेप के मामलों को रोक नहीं पाएंगे।

देशहित के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वरिष्ठ वकीलों की अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई करके फैसला सुना दिया गया है। ऐसे में भविष्य में बच्चों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून में प्रावधान है कि यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अब उस उम्र को घटाकर 16 साल करना, युवाओं को यौन संबंध बनाने की आजादी नहीं दे रहा है, बल्कि शोषण करने वालों को शोषण करने की स्वतंत्रता दे रहा है।

NEWS 24 ONLINE, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

पंजाब के पठानकोट का है मामला

बता दें कि पंजाब के पठानकोट में साल 2022 में 16 साल की मुस्लिम लड़की ने 21 साल के प्रेमी से निकाह किया था। परिवार ने आपत्ति जताई तो लड़की ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई और हाई कोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद टिप्पणी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। इसलिए इस्लामिक कानून भी कहना है कि युवावस्था में आने के बाद 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी करने में सक्षम मान सकते हैं। इसलिए पठानकोट के SSP लड़की और उसके पति को सुरक्षा प्रदान करें।

2023 में आया था अंतरिम आदेश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। याचिका में दलील दी गई कि 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी का मामला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत भारत में लड़कियों के लिए शादी करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल न माना जाए। वहीं अब साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की शादी को वैध करार दे दिया है।

Dainik Bhaskar

राष्ट्रीय: कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा प्रियांक कानूनगो

https://www.bhaskarhindi.com/other/news-1174467

19 Aug 2025 6:36 PM

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर एनसीपीसीआर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा है।

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर एनसीपीसीआर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा है। प्रियांक कानूनगो ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारत के एक उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को केवल उसके धर्म के आधार पर वैध ठहराया था। भारत का बाल विवाह अधिनियम और पॉस्को अधिनियम धर्मनिरपेक्ष कानून हैं। दोनों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ कोई भी यौन गतिविधि पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार की श्रेणी में आती है।

उन्होंने कहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आग्रह किया कि यदि नाबालिग के साथ यौन संबंध पॉक्सो के तहत अपराध है, तो विवाह की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार किया और तत्काल एक अंतरिम आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनको आधार बनाकर कहीं किसी कोर्ट में आदेश नहीं दिए जा सकते। कानूनगो ने कहा कि आज खासकर बच्चों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की एकतरफा सुनवाई की गई। इसमें यह कहा गया कि एनसीपीसीआर का लोकस नहीं बनता।

प्रियांक कानूनगो ने कहा कि 12, 13, 14, या 15 साल की लड़कियों को शादी की आड़ में यौन शोषण की अनुमति देना देश को शरिया के अनुसार चलाने जैसा है। यह संविधान का अपमान है और भारत में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल, 2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था। यह मामला तब अदालत में पहुंचा था जब विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके विवाह को मान्यता दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

Panchjanya

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया

https://panchjanya.com/2025/08/19/425197/bharat/sc-upholds-16-year-old-muslim-girl-marriage/

19 अगस्त 2025

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की याचिका खारिज कर दी। एनसीपीसीआर ने पंजाब और हरियाणा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 16 साल की मुस्लिम युवती की शादी को कानूनी तौर पर वैध करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसमें उच्च न्यायालय ने 16 साल की मुस्लिम युवती की शादी को कानूनी तौर पर वैध करार दिया था। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर शादी को वैध करार दिया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना था कि यह फैसला बाल विवाह निषेध कानून 2006 के विपरीत है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर इस शादी को वैध करार देते हुए एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी।

दरअसल, पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल के कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह लड़की सहमति से बनाया गया हो। शादी से जुड़े अधिकतर कानूनों में भी लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में यौवन अवस्था (puberty) हासिल कर चुकी लड़की के विवाह को सही माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

बाल विवाह नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून का कोई कानूनी प्रश्न नहीं उठता है।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने क्या कहा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार (19 अगस्त) को इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा, "एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शाादी को जायज ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को राष्ट्रीय बाल आयोग ने मेरे अध्यक्ष रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और मजहब के आधार पर बालिकाओं के यौन शोषण को अनुमति देना धर्म निरपेक्षता संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है। उस वक्त हमारी दलीलों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने तत्काल देश की लड़कियों के पक्ष में आदेश दिया था।"उन्होंने इस फैसले को बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बताते हुए आगे लिखा, "इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। जानकारी मिली है कि

दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पूर्व में नियुक्त किए गए NCPCR के वरिष्ठ वकील की अनुपस्थिति में लगभग एकतरफा सुनवाई के आधार यह केस खारिज कर दिया गया है। यह शरिया के आधार पर देश चलाने जैसा है। कोर्ट ने नाबालिग की सहमति को आधार माना है यह चिंताजनक है। इसी तरह के एक और मामले में कल फिर सुनवाई होनी है। यदि बच्चों को सेक्स की सहमति दे दी गई तो बर्बादी होगी। हे भगवान भारत के बच्चों की रक्षा करिए,आपका ही सहारा है।”

FREE PRESS JOURNAL, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Free Press Journal

National Human Rights Commission Team In Bhopal To Probe Rape And Blackmailing Case

NHRC accused police officials for not implementing the recommendations of the commission regarding the communal sexual offences

https://www.freepressjournal.in/bhopal/national-human-rights-commission-team-in-bhopal-to-probe-rape-and-blackmailing-case

Staff Reporter Updated: Tuesday, August 19, 2025, 10:44 PM IST

Bhopal (Madhya Pradesh): A four-member team of National Human Rights Commission is in Bhopal to conduct an inquiry into the high-profile rape and blackmailing case at TIT College, which had surfaced in May this year.

Police have arrested six persons involved in the case including the prime accused Farhan Khan.

The NHRC accused police officials for not implementing the recommendations of the commission regarding the communal sexual offences where victims were Hindu girls and they were deliberately targeted.

However, police did not take adequate action and failed to conduct proper investigations, which may have brought to light more victims of the racket. The police also failed in tracing the culprits who funded the racket, NHRC officials said.

Commission member Priyank Kanoongo on Tuesday stated on X, “Adequate action has not been taken on NHRC’s recommendations regarding the case of communal sexual offences in Bhopal, where college going Hindu girls were allegedly targeted, drugged, raped, their obscene videos were shot. Then, they were blackmailed with pressure for religious conversion.”

Kanoongo said commission’s team reached Bhopal for two days to reinvestigate the case. If any victim or witness wishes to give their statement or complain, they may come forward without fear, he added.

He also warned police not to visit victims’ houses in uniform. “This will socially embarrass and intimidate them. Such conduct will not be tolerated. We urge media persons to cooperate in retaining victims’ trust in judicial system,” he added.

Police commissioner Harinarayanachari Mishra said, “NHRC team is in Bhopal for an inquiry in the case. Police will cooperate with the team and provide assistance.”

Inh

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम फिर पहुंची भोपाल: पुलिस कर्मियों को दी बड़ी हिदायत, दो दिन तक करेगी जांच...

https://www.inhnews.in/news/national-human-rights-commission-team-reached-bhopal-again

preeti Ratre | 19 Aug 2025 12:51 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम फिर पहुंची। इस बीच अनुशंसाओं पर यथेष्ट कार्रवाई नहीं होने पर आयोग ने नाराजगी जताई है। इसकी जानकारी प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये टीम लव जिहाद ड्रग्स और धर्मांतरण मामले में राजधानी भोपाल पहुंची है।

दो दिन तक करेगी जांच:

बताया जा रहा है कि, भोपाल में TIT कॉलेज लव जिहाद कांड और ड्रग्स जिहाद कांड को लेकर मानव अधिकार आयोग की टीम दोबारा जांच के लिए भोपाल पहुंची अगले दो दिन तक जांच करेगी। प्रियांक कानूनगो ने मीडिया से भी आग्रह किया पीड़ितों का विश्वास स्थापित करने में सहयोग करें इसके अलावा मानव अधिकार आयोग की टीम ने पुलिस कर्मियों को भी बड़ी हिदायत दी है।

अनुशंसाओं पर यथेष्ट कार्रवाई:

इसके आगे प्रियांक ने कहा कि, भोपाल में कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को लक्षित कर ग्रूम करके ड्रग्स दे कर बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप वाले सांप्रदायिक लैंगिक अपराध के प्रकरण में आयोग की अनुशंसाओं पर यथेष्ट कार्रवाई नहीं की गई है। अतः दोबारा जांच के लिए आयोग की टीम अगले दो दिन के लिए भोपाल पहुंच गई है।

पुलिस कर्मियों को दी हिदायत:

यदि कोई पीड़ित अथवा साक्षी अपने बयान अथवा शिकायत देना चाहें तो निर्भय हो कर संपर्क कर सकते हैं। भोपाल पुलिस के कर्मियों को हिदायत है कि आयोग की टीम सामने प्रस्तुत करने के नाम पर मासूम पीड़ितो के घर वर्दी पहन कर ताम झाम से जा कर पीड़ितों को सामाजिक रूप से लज्जित कर डहलाने का काम ना करें, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि न्याय व्यवस्था में पीड़ितों का विश्वास स्थापित करने में सहयोग करें।

LALLURAM, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Lalluram

कॉलेज स्टूडेंट्स से गैंगरेप मामलाः राष्ट्रीय मानव अधिकार फिर करेगी जांच, 2 दिन के लिए भोपाल पहुंची जांच टीम

https://lalluram.com/mp-news-gangrape-case-of-college-students-national-human-rights-will-investigate-again/

Satyanarayan Shukla | 19 Aug 2025, 11:27 AM

मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी (टीआईटी) कॉलेज स्टूडेंट्स से गैंगरेप (लव जिहाद) मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार फिर जांच करेगी। 2 दिन जांच के लिए टीम दोबारा भोपाल पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। कहा कि- आयोग ने जो सिफारिश की थी उसे पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पीड़ितों से आकर बात करने की अपील की है।

डग्स देकर बलात्कार कर बनाए अश्लील वीडियो

आयोग ने सोशल मीडिया पर लिखा- भोपाल में कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को लक्षित कर ग्रूम करके ड्रग्स देकर बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप वाले सांप्रदायिक लैंगिक अपराध के प्रकरण में आयोग की अनुशंसाओं पर यथेष्ट कार्रवाई नहीं की गई है। अतः दोबारा जांच के लिए आयोग की टीम अगले दो दिन के लिए भोपाल पहुंच गई है।

निर्भय होकर संपर्क कर सकते

यदि कोई पीड़ित अथवा साक्षी अपने बयान अथवा शिकायत देना चाहें तो निर्भय होकर संपर्क कर सकते हैं। भोपाल पुलिस के कर्मियों को हिदायत है कि आयोग की टीम के सामने प्रस्तुत करने के नाम पर मासूम पीड़ितों के घर वर्दी पहनकर तामझाम से जाकर पीड़ितों को सामाजिक रूप से लज्जित कर दहलाने का काम ना करें अन्यथा ठीक नहीं होगा। मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि न्याय व्यवस्था में पीड़ितों का विश्वास स्थापित करने में सहयोग करें।

LALLURAM, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Lalluram

MP TOP NEWS TODAY: मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला, लव जिहाद-ड्रग माफिया पर कसेगा शिकंजा, भोपाल में अवैध ड्रग फैक्ट्री सील, आदिवासी हॉस्टल की 35 छात्राएं बीमार, धार में मां-बेटे की करंट से मौत, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

https://lalluram.com/today-mp-big-news-top-news-19-august-madhya-pradesh-latest-hindi-breaking-news-updates/

sazaan | 19 Aug 2025, 10:03 PM

मध्यप्रदेश

MP TOP NEWS TODAY: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज मंगलवार 19 अगस्त को क्या कुछ खास रहा ? अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो लल्लूराम डॉट कॉम (Lalluram.com) पर एक क्लिक में पढ़ सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर...

मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना प्रारंभ की है।

लव जिहाद और ड्रग माफिया पर कसेंगे शिकंजा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लव जिहाद और ड्रग माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 'महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले, ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। सबको एक-एक कर ठिकाने लगाएंगे।

कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर बवाल जारी

मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के कई जिलों में नए अध्यक्ष को लेकर विरोध जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बाद इस्तीफे का क्रम और पुतना दहन किए जा रहे हैं।

भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री सील

राजधानी भोपाल के जगदीशपुर में गुप्त तरीके से संचालित अवैध दवा फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस मामले में रहवासियों ने बड़ा दावा किया है। बताया गया कि मकान के अंदर देर रात तक काम चलता था। कभी-कभी अजीब गंध आती थी। फैक्ट्री में इस्तेमाल हुए जहरीले केमिकल का असर अब इलाके के लोगों पर दिखने लगा है। ज़हरीला कचरा खाने से कई मवेशियों की मौत हुई है। लोगों की आंखों में जलन और सांस की समस्याएं हो रही है।

आदिवासी हॉस्टल की 35 छात्राएं हुई बीमार

हमेशा विवादों में रहने वाला सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के हॉस्टल इन दिनों फिर चर्चा में हैं। इस बार कारण है रतलाम जिले के बाजना का आदिवासी कन्या छात्रावास। जहां पर एक दो नहीं बल्कि 35 छात्राएं बीमार हो गई। जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया और बोतल चढ़ाकर जबरन वापिस हॉस्टल भेज दिया।

मिल गई अर्चना तिवारी

कटनी निवासी अर्चना तिवारी आखिरकार दिल्ली में मिल गई है। चलती ट्रेन से गायब होने वाली अर्चना को दिल्ली के पास से बरामद किया गया है। जिसके बाद पुलिस उसे लेकर रवाना हो गई है।

मऊगंज – जनपद पंचायत में बड़ा घोटाला!

जनपद पंचायत मऊगंज का हाई-प्रोफाइल घोटाला अब और गहराता जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में हुए भ्रष्टाचार की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। जिस मामले की शिकायत मऊगंज जनपद अध्यक्ष एवं पंचायत सदस्यों ने जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल से की थी, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई अब तक ठंडे बस्ते में है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह परिहार अब अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर मुखर हो गई हैं।

कॉलेज स्टूडेंट्स से गैंगरेप का मामला

भोपाल के निजी (टीआईटी) कॉलेज स्टूडेंट्स से गैंगरेप (लव जिहाद) मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार फिर जांच करेगी। 2 दिन जांच के लिए टीम दोबारा भोपाल पहुंची है। **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग** के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। कहा कि- आयोग ने जो सिफारिश की थी उसे पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पीड़ितों से आकर बात करने की अपील की है।

सिपाही ने महिला जेल प्रहरी को बनाया हवस का शिकार

ग्वालियर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही अनमोल त्रिपाठी पर एक महिला जेल प्रहरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता, मुरैना जिले में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत है, पीड़िता ने बताया कि अनमोल त्रिपाठी ने शादी का वादा कर उसके साथ कई बार पुलिस लाइन के स्टाफ क्वार्टर में दुष्कर्म किया।

देवास में सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत

देवास जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मां-बेटे की जान चली गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। खातेगांव के कन्नौद मुक्तिधाम के पास इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात वाहन और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में कार में सवार बैतूल जिले के एक परिवार के तीन लोगों में से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।

धार में मां-बेटे की करंट से मौत

धार जिले के मनावर के ग्राम टेमरीया में करंट प्रवाहित बिजली तार की चपेट में आने से मां बेटे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वन्य जीवों को खेत में घुसने से रोकने के लिए लगाए तारों में करंट दौड़ रहा था। मां-बेटे उसी की चपेट में आ गए।

इंदौर में ड्यूटी से गायब 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच

इंदौर में ड्यूटी समय में थाने से गायब रहने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसीपी ने थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान चारों पुलिसकर्मी नदारद थे। चारों पुलिसकर्मियों से जवाब तलब करते हुए लाइन अटैच की कार्रवाई की गई है।

एंबुलेंस से ड्रग्स की तस्करी

नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस से हो रही मादक पदार्थ की तस्करी का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान 1.609 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है। वहीं तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भोपाल में NCERT मॉड्यूल को लेकर प्रदर्शन

भोपाल में एनएसयूआई (NSUI) ने एनसीईआरटी (NCERT) मॉड्यूल में भ्रामक सामग्री के विरोध में डीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। NSUI ने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने एनसीईआरटी मॉड्यूल की प्रतियां जलाई। इतना ही नहीं ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

ODISHA DIARY, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Odisha Diary

NHRC takes suo motu cognizance of the reported corporal punishment fracturing a student's shoulder at a government-run primary school in the Gautam Budh Nagar district, Uttar Pradesh

https://orissadiary.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-corporal-punishment-fracturing-a-students-shoulder-at-a-government-run-primary-school-in-the-gautam-budh-nagar-district-uttar-pradesh/

By: Odisha Diary Bureau

Date: August 19, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that corporal punishment by a teacher fractured the shoulder of a third standard student at a government-run primary school in the Gautam Budh Nagar district, Uttar Pradesh. Reportedly, the boy did not disclose the incident but refused to go to school till after 3-4 days; his younger brother informed that he was injured due to beating with a stick by a teacher.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights of the victim. Therefore, it has issued notices to the State Principal Secretary, Department of Basic Education and the District Police Commissioner calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 7th August, 2025, the parents of the victim boy admitted him to a hospital where a surgery on his shoulder was scheduled.

Cross Town News

UP: NHRC issues notices to Principal Secretary, Education & District Police Commissioner related to a school student beaten by Teacher

https://www.crosstownnews.in/post/145559/up-nhrc-issues-notices-to-principal-secretary-education-district-police-commissioner-related-to-a-school-student-beaten-by-teacher.html

08/19/2025 National

New Delhi, Aug 18: NHRC has issued notices to the State Principal Secretary of the Department of Basic Education and District Police Commissioner of UP, related to a school student beaten by the teacher, in the Gautam Budh Nagar district of the state.

The commission also asked for a detailed report in the matter within two weeks.

INDIA EDUCATION DIARY, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

India Education Diary

NHRC takes suo motu cognizance of the reported corporal punishment fracturing a student's shoulder at a government-run primary school in the Gautam Budh Nagar district, Uttar Pradesh

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-corporal-punishment-fracturing-a-students-shoulder-at-a-government-run-primary-school-in-the-gautam-budh-nagar-district-uttar-pradesh/

By iednewsdesk | August 19, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that corporal punishment by a teacher fractured the shoulder of a third standard student at a government-run primary school in the Gautam Budh Nagar district, Uttar Pradesh. Reportedly, the boy did not disclose the incident but refused to go to school till after 3-4 days; his younger brother informed that he was injured due to beating with a stick by a teacher.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights of the victim. Therefore, it has issued notices to the State Principal Secretary, Department of Basic Education and the District Police Commissioner calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 7th August, 2025, the parents of the victim boy admitted him to a hospital where a surgery on his shoulder was scheduled.

News Laundary

Days after cops assault journalist, NHRC seeks report from Punjab DGP

The two officers reportedly assaulted Balwinder Singh in the Batala area of Gurdaspur district on August 1.

https://www.newslaundry.com/2025/08/19/days-after-cops-assault-journalist-nhrc-seeks-report-from-punjab-dgp

By: NL Team | 19 Aug, 2025

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the assault of a journalist by two policemen in Gurdaspur’s Batala and sought a detailed report from the Punjab DGP within two weeks.

The two officers were suspended shortly after the video of the incident on August 1 went viral.

The two police personnel were deployed in Batala ahead of Independence Day. When the journalist posed questions regarding their presence, the officers were allegedly enraged and assaulted Singh. A video of the incident shows the journalist lying motionless on the ground, while the officers are seen walking away following the assault.

Journalist Balvinder Kumar Bhalla was brutally assaulted in Batala on Aug 1 for questioning 2 cops — a chilling blow to freedom of press under AAP rule in Punjab; FIR registered against Police officials https://t.co/k2hvxU43jM

Zee News

NHRC ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Batala journalist Assault: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

https://zeenews.india.com/hindi/zeephh/trending-news/national-human-rights-commission-seeks-report-from-dgp-on-police-personnel-assaulting-journalist-in-batala/2887651

Written By Ravinder Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:42 PM IST

Batala journalist Assault: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

2 ਮਿੰਟ 16 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

NHRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Navbharat Times

आर्मी जवान को बांधा गया, अपमान हुआ, संगीन मानवाधिकार उल्लंघन का केस... अब NHRC ने जारी किया नोटिस

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/meerut/meerut-toll-plaza-soldier-assault-case-nhrc-issued-notice-sought-action-taken-report-in-two-weeks/articleshow/123390603.cms

Curated by: राहुल पराशर| नवभारतटाइम्स.कॉम•19 Aug 2025, 9:04 pm

Meerut Toll Plaza Soldier Assault NHRC Notice: मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सैनिक के साथ मारपीट मामले में एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है।

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की रात सेना के जवान कपिल कवद के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना की शिकायत 19 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से की गई थी। एनएचआरसी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मेरठ के डीएम, एसएसपी और NHAI अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे दो हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एनएचएआई की ओर से पहले ही निजी एजेंसी पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है।

मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला

एनएचआरसी ने शिकायती पत्र के आधार पर कहा कि प्रथम दृष्टि में यह मामला सैनिक के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का है। प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी की पीठ ने इस मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है। आयोग ने मेरठ पुलिस, डीएम और NHAI से शिकायत की जांच कराकर जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि जांच कर दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता के अनुसार, ट्रैफिक जाम की वजह से जवान ने टोल कर्मचारियों से प्रबंधन सुधारने का अनुरोध किया। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि टोल कर्मचारियों ने जवान को पीटकर खंभे से बांध दिया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आरोप लगा है कि टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर पीड़ित की पिटाई की। सैनिक को खंभे से बांध दिया। इससे उसका सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ।

एनएचआरसी को भेजे शिकायती पत्र में कहा गया है कि सैनिक के अपमान के विरोध में ग्रामीण जुटे। हंगामा के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। NHAI ने निजी टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता ने रक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में चिंता व्यक्त की।

सैनिक की ओर से की गई शिकायत में सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षित एवं बिना रोकटोक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश-दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने NHRC से जवाबदेही सुनिश्चित करने, पीड़ित को मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके साथ ही देश भर में टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

सेना की कड़ी प्रतिक्रिया

भारतीय सेना की सूर्य कमांड ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक सर्विंग सैनिक के सम्मान पर हमला है। सेना ने इसे बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और उत्तर प्रदेश पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सेना की ओर से दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश, गैरकानूनी जमावड़ा और डकैती की धाराएं शामिल की गई हैं। अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

एनएचएआई ने की कार्रवाई

सेना के विरोध के बाद नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टोल कलेक्शन एजेंसी मेसर्स धरम सिंह पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही एजेंसी को भविष्य की टोल बोलियों से प्रतिबंधित करने और अनुबंध खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनएचएआई ने बयान जारी कर कहा कि टोल कर्मचारियों का यह व्यवहार अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

Jagran

पिटाई की VIDEO देख हर मां का दिल दहल जाएगा... मेरठ में टोलकर्मियों ने सिपाही को गुंडों की तरह पीटा

मेरठ में टोल प्लाजा पर फौजी से मारपीट की घटना से परिजनों में रोष है। मां ने टोलकर्मियों पर बेटे को गुंडों की तरह पीटने का आरोप लगाया है। पिता ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की है।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-meerut-soldier-assaulted-at-toll-plaza-family-alleges-brutal-beating-24018409.html

By sushil kumar Edited By: Aysha Sheikh Updated: Tue, 19 Aug 2025 09:16 PM (IST)

HighLights

फौजी के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट।

परिजनों ने लगाया गुंडागर्दी का आरोप।

मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट।

जागरण संवाददाता, मेरठ। फौजी के साथ मारपीट की वीडियो देखकर मां सुनीता का दिल कांप गया। बोलीं, टोलकर्मियों ने बेटे को गुंडों की तरह पीटा हैं। पूरे शरीर पर चोट के निशान आरोपितों की बर्बरता बयां करने के लिए काफी हैं। पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो बेटे को जान से ही मार देते। कपिल की गलती क्या थी? उसने तो सिर्फ टोलकर्मियों से रास्ता मांगा था।

उसके बाद आरोपितों ने गुंडों की तरह पीटा। पिता और परिवार के अन्य सदस्य कार के अंदर बंद थे, जो सिर्फ कपिल की कराहट ही सुनते रह गए। तब भी पुलिस सिर्फ आरोपितों पर जानलेवा हमले की कार्रवाई कर रही हैं, ऐसे आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ताकि भविष्य में कोई सेना के जवान की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकें।

पिता कृष्णपाल ने बताया कि कपिल 2018 में सेना में भर्ती हुए थें। उसके बड़े भाई सचिन भी सेना में हैं। कपिल की तैनाती फिलहाल श्रीनगर में चल रही है। कपिल अपनी छुट्टी खत्म करने के बाद वापस जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवार के लोग भी उसे छोड़ने जा रहे थे।

टोलकर्मियों ने कपिल को अधमरा कर दिया। ऐसे आरोपितों के घरों पर बुल्डोजर चलना चाहिए। मुकदमे में देशद्रोह की धारा की इजाफा किया जाए। कपिल ने आरोपितों को बताया कि मैं सेना में हूं, बाकायदा अपना आईडी कार्ड भी दिखाया।

उल्टे टोलकर्मियों ने आइडी कार्ड फेंक दिया। चार आरोपितों ने हाथ पकड़े और खंभे से बांध कर मारपीट शुरू कर दी। टोलकर्मियों से कपिल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। तब भी उन्होंने एक नहीं मानी। सैनिक अस्पताल में भर्ती कपिल ने सिर्फ इतना बताया कि टोलकर्मियों ने एकजुट होकर बर्बरता की सभी हदें लांघ दी थी।

JAGRAN, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मानवाधिकार आयोग ने दो सप्ताह में अफसरों से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बाबत एक शिकायत पर इस घटना पर संज्ञान लिया है। शिकायतकर्ता ने सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में चिंता जताई है। साथ ही टोल पर सुरक्षित यात्रा कराने की मांग की है।

बताया है कि एनएचएआइ की तरफ से टोल पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। उक्त मुआवजा पीड़ित को दिया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बाबत डीएम-एसएसपी और एनएचएआइ दिल्ली के अफसरों को नोटिस देकर दो सप्ताह में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है।

NEWS 18, Online, 20.8.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

News18 Hindi

सेना के जवान से टोल पर हुई मारपीट पर NHRC ने भेजा नोटिस, दो हफ्ते में पुलिस, डीएम और NHAI से मांगा जवाब

https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/meerut-nhrc-sends-notice-to-police-for-assaulting-soldier-at-meerut-toll-plaza-ws-bkl-9527313.html

Reported by: संदीप बोल | Agency:News18Hindi

Last Updated: August 19, 2025, 20:16 IST

TOLL PLAZA ISSUE: टोल पर आवाजाही के लिए सेना को छूट होती है, आईकार्ड दिखाकर जाना होता है. जवान ने अपना आई कार्ड भी दिखाया और थोडा जल्दी करने को कहा.उसे लेकर टोलकर्मी के साथ बहस हुई तो ना सिर्फ उस जवान का आईकार्...और पढ़ें

सैनिक से टोल पर मारपीट पर NHRC ने जारी किया नोटिस

TOLL PLAZA ISSUE: 17 अगस्त शाम 8 बजे मेरठ के टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के सैनिक के साथ मारपीट की घटना सामने आई. इस घटना की शिकायत 19 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से भी की गई थी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने मेरठ पुलिस, डीएम और NHAI को नोटिस भेजा है. नोटिस के जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है.

NHRC को शिकायत

NHRC को की गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेना के सैनिक कपिल कवद पर बेरहमी से हमला किया गया था. भुनी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम के चलते, उन्होंने टोल कर्मचारियों से ट्रैफिक को तेज़ी से प्रबंधित करने का अनुरोध किया, जिसके कारण मौखिक बहस हुई और यह मारपीट में बदल गई. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर पीड़ित की पिटाई की और उसे एक खंभे से बांध दिया, जिससे सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ. इसके बाद ग्रामीण विरोध में इकट्ठा हुए. पुलिस ने एक FIR दर्ज की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि NHAI ने निजी टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता ने रक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में चिंता व्यक्त की और सुरक्षित एवं बिना रोकटोक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने NHRC से जवाबदेही सुनिश्चित करने, पीड़ित को मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ देश भर में टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला

शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन लगते हैं. प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 का संज्ञान लिया है. आयोग की पीठ ने निर्देश जारी किया कि मेरठ के डीएम, एसएसपी और NHAI अध्यक्ष को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएं और दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट को आयोग के सामने पेश करें.

Hindu

NHRC directs Telangana Education dept. for report in student’s death

https://www.thehindu.com/news/national/telangana/nhrc-directs-telangana-education-dept-for-report-in-students-death/article69952693.ece

Published - August 19, 2025 08:49 pm IST - HYDERABAD

The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday directed Secretary (Education) Yogitha Rana for a comprehensive report concerning the death of a 16-year-old girl in Government Ashram High School for Girls in Wankidi, Komaram Bheem Asifabad district, last year.

The girl along with two other students were admitted to Nizam’s Institute of Medical Sciences with severe gastroenteritis symptoms, after they reportedly consumed food from their school. While the latter two were discharged, the girl in critical condition died while being treated on November 25.

The NHRC, responding to Hyderabad-based advocate Rama Rao Immaneni’s petition, opened an investigation and directed Ms. Yogitha Rana to submit the report within four weeks.

Aira News Network

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सलाहकार मानवाधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा की सच्चाई पर लगी मुहर

https://airanewsnetwork.com/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B/

Dr. Tarique Zaki | 3 hours ago | आईरा न्यूज़ नेटवर्क

4 साल की जंग के बाद जीत:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सलाहकार मानवाधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा की सच्चाई पर लगी मुहर

साहिबाबाद/गाज़ियाबाद
मानवाधिकार संघर्ष की राह पर चार साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सलाहकार राजीव कुमार शर्मा की सत्य की जीत हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे राजीव कुमार शर्मा को मुआवजे के रूप में अदा करने का आदेश दिया।

यह मामला उस समय शुरू हुआ जब साहिबाबाद पुलिस ने एक आईएएस अधिकारी को बचाने और राजीव शर्मा का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज किया था। इस साजिश में तत्कालीन दरोगा विमल कुमार यादव की भूमिका सामने आई, जिसने कुछ लोगों के उकसावे पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति की थी।

आयोग का बड़ा फैसला

मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन थी। आदेश के मुताबिक सरकार को यह 25 हज़ार रुपये की धनराशि राजीव शर्मा को अदा करनी पड़ी, जिसे बाद में दरोगा विमल कुमार यादव के वेतन से वसूला गया।

“सत्य की जीत हुई, झूठ बेनकाब”

फैसले के बाद राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जीत है जो न्याय और सत्य की राह पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “यह निर्णय साबित करता है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, अंततः सच की जीत होती है।”

पुलिस-माफिया गठजोड़ पर सवाल

यह मामला एक बार फिर उस गठजोड़ को उजागर करता है जिसमें पुलिस और प्रभावशाली लोग मिलकर ईमानदार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजीव शर्मा की दृढ़ इच्छाशक्ति और कानूनी संघर्ष ने इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया।

राजीव कुमार शर्मा: मानवाधिकार संघर्ष की एक मजबूत आवाज

राजीव कुमार शर्मा पिछले दो दशकों से मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में उन्होंने कई मामलों में न सिर्फ पीड़ितों की आवाज को उठाया है बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार संघर्ष किया है।

उनके प्रयासों से कई संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को न्याय मिला है और कई बार सरकारी तंत्र की लापरवाहियों को उजागर किया गया है। कठिन परिस्थितियों और साजिशों के बावजूद राजीव शर्मा हमेशा “मानवाधिकार सर्वोपरि” की सोच के साथ खड़े रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें मानवाधिकार जगत में एक दृढ़ और साहसी कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है।

Amar Ujala

Bhiwani News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भिवानी पुलिस से मांगा जवाब

https://www.amarujala.com/haryana/bhiwani/national-human-rights-commission-sought-reply-from-bhiwani-police-bhiwani-news-c-21-hsr1034-691314-2025-08-20

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 20 Aug 2025 01:44 AM IST

भिवानी। शिक्षिका मनीषा मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए भिवानी पुलिस से जवाब तलब किया है। यह कदम सामाजिक कार्यकर्ता और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा की शिकायत पर उठाया गया। सुशील वर्मा ने बताया कि मानवाधिकार आयोग की प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने भिवानी पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है।

अपनी शिकायत में उन्होंने भिवानी पुलिस अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आयोग से प्रार्थना की कि इस मामले की जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से करवाई जाए। लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

The New Indian Express

ST commission summons top Jharkhand officials over Surya Hansda encounter

The Commission warned that failure to appear may result in the officials being summoned personally or through authorised representatives.

https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Aug/19/st-commission-summons-top-jharkhand-officials-over-surya-hansda-encounter

Mukesh Ranjan | Updated on: 19 Aug 2025, 10:24 am

2 min read

RANCHI: Taking cognisance of a complaint lodged by Rajya Sabha MP Deepak Prakash, the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has issued notices to the Jharkhand Chief Secretary, Director General of Police (DGP), Godda Deputy Commissioner, and Superintendent of Police (SP). The officials have been directed to appear before the Commission within three days to explain the actions taken following complaints received after the encounter of tribal leader Surya Hansda.

In his complaint, Prakash demanded an impartial investigation into the "suspicious" encounter of Surya Hansda and appropriate action against those responsible.

The Commission warned that failure to appear may result in the officials being summoned personally or through authorised representatives. The notice follows serious allegations raised by Deepak Prakash, a former Jharkhand BJP president.

Notably, the BJP has described the encounter as a "cold-blooded murder" and demanded a probe either by the Central Bureau of Investigation (CBI) or under the supervision of a sitting High Court judge.

State BJP President Babulal Marandi launched a scathing attack on the Hemant Soren-led government, alleging that "criminal elements within the Jharkhand police" were framing tribal leaders, facilitating land grabs, sheltering mafias, and using fake encounters to silence dissent.

Marandi claimed Hansda was not killed in a legitimate police action but was "murdered by cowards in uniform" who feared his activism could rally tribals to demand their rights and resources. He further alleged that false cases, harassment, and systematic intimidation had become the government's standard response to protests.

Hansda's wife and mother have consistently accused the police of a pre-planned murder and refused to accept his body. They too have demanded a CBI probe. Marandi added that if Chief Minister Hemant Soren fears a CBI investigation, then a sitting High Court judge should lead the inquiry.

Hansda was shot dead by the police on 11 August, allegedly while trying to escape during a transit from Deoghar to Godda. According to the police, during interrogation, Hansda

had revealed that weapons were hidden in the Jirli–Dhamni hills of Godda. While being taken to the site, he allegedly snatched a weapon from a policeman and attempted to flee, leading to an encounter.

However, his family members have vehemently denied this version, calling it a “planned encounter”.

The police maintain that Hansda was involved in several criminal activities, including an incident in which he reportedly fractured the hand of a Deputy Superintendent of Police (DSP) who had gone to arrest him. They claimed that all actions were in line with the National Human Rights Commission (NHRC) guidelines.

Surya Hansda had contested the Borio assembly seat four times but never secured a win. He first contested in 2009 and 2014 on a Jharkhand Vikas Morcha (JVM) ticket, then in 2019 on a BJP ticket, finishing second. In the 2024 Assembly elections, he ran on a Jharkhand Kranti Lok Morcha (JKLM) ticket after being denied a BJP nomination.

The Logical India

19-Year-Old Teacher Manisha Found Dead in Haryana; Bhiwani SP Transferred, Police Suspended Amid Outrage

The brutal killing of 19-year-old playschool teacher Manisha in Singhani village provokes protests and a police inquiry amid public anger over women's safety.

https://thelogicalindian.com/19-year-old-teacher-manisha-found-dead-in-haryana-bhiwani-sp-transferred-police-suspended-amid-outrage/

News Desk | August 19, 2025

Haryana is shaken by the brutal murder of 19-year-old playschool teacher Manisha from Singhani village in Bhiwani district. Her throat was slit, and her body was found in a field on August 13, days after she went missing. The family and locals have protested vehemently, accusing police of negligence and delayed action, and refusing to cremate her until the culprits are caught.

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has transferred the Bhiwani Superintendent of Police and suspended five police personnel in connection with the case. Political leaders and the National Human Rights Commission have also demanded swift justice amid concerns over women's safety and law enforcement in the state.

Protests and Calls for Justice in Singhani Village

Manisha's death has ignited widespread outrage and grief in Singhani and neighbouring areas. Villagers and family members staged protests, blocked roads, and held a mahapanchayat demanding the immediate arrest of the killers.

Markets were shut in solidarity, accompanied by public demonstrations in Bhiwani, Hisar, Jind, and Fatehabad. Manisha's family alleges that the police initially dismissed her disappearance, refusing to register a missing person complaint promptly and delaying investigative action.

The refusal to release CCTV footage from a nursing college near where she was last seen further deepened suspicions of police inaction and possible interference. The victim's father, Sanjay Singh, has vowed not to allow her last rites until arrests are made, expressing deep anguish and anger over the perceived failures of the authorities.

Background and Official Response

Manisha had left her school on August 11 to inquire about a B.Sc nursing course at a nearby college but never returned. Her body was discovered two days later with her throat slit and signs of possible acid burns or animal attacks. The Loharu police unit initially expressed the belief that she may have run away but registered a missing complaint following family pressure.

In reaction to mounting public anger and political criticism, Haryana CM Nayab Singh Saini transferred the Bhiwani SP Manbir Singh and suspended five police officers, including the SHO and assistants. CM Saini assured the public of his personal monitoring of the investigation and pledged strict action upon the conclusion of the inquiry. Opposition leaders have called the situation a collapse of law and order, criticising the government for failing to protect women under its watch.

The Logical Indian's Perspective

The Logical Indian stands firmly with Manisha's family and the outraged community demanding justice, recognising this tragedy as a stark symbol of broader systemic failures that jeopardise the safety of women in Haryana and beyond. This case underscores the urgent need for accountable, efficient policing combined with strengthened community awareness and support systems for women at risk.

Beyond punitive measures, fostering empathetic societal attitudes and empowering women to live free from fear are paramount. We call on authorities, civil society, and citizens alike to collaborate in creating safe, respectful environments for women.